निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने हेतु मध्य प्रदेश आवास बोर्ड को वर्ष 1974–75 और 1975–76 के दौरान क्रमशः 20 लाख रुपये और 16 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए थे।

मध्य प्रदेश में अनाज रखने की अतिरिक्त क्षमता

1979. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भण्डार निगम के गोदामों के बारे में 3 मई, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3166 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मार्च, 1973 से मार्च, 1976 तक की अवधि में क्षमता में कितनी वृद्धि की गई है और कितने गोदाम किराये पर लिये गये और अलग अलग वर्षों में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास दस लाख मीटरी टन अनाज जमा करने के लिये गोदाम हैं और यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधि के दौरान इन गोदामों में अलग-अलग वर्षवार कितना अनाज जमा किया गया ; और

(ग) इसमें से कितना अनाज, वर्षवार खराब हुआ, कितना अन्य जन्तुओं (रोडेंट्स) ने खा लिया या खराब कर दिया और मानव के खाने के योग्य नहीं रहा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिंदे) (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने इस अवधि में निजी तथा किराये पर ली गई क्षमता समेत 29,645 मीटरी टन क्षमता बढ़ायी थी। किराये पर लिये गये गोदामों की संख्या और केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा उनके लिये दी गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	गोदामों की संख्या	वर्ष के लिये रुपयों में किराया
1973–74	6	16,507.80
1974–75	10	51,740.60
1975–76	16	1,55,584.76

(ख) इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता (निजी तथा किराये की) लगभग 10 लाख मीटरी टन है। गोदामों में भण्डारित खाद्यान्नों (चीनी समेत) का स्टाक इस प्रकार था :—

(हजार मीटरी टन में)

निम्नलिखित माह के अन्त में	चीनी समेत खाद्यान्नों का स्टाक
मार्च, 1973 .	229.40
मार्च, 1974 .	167.70
मार्च, 1975 .	81.40
मार्च, 1976 .	549.70

(ग) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम आदि जैसी सरकारी क्षेत्र की ऐजेंसियों के गोदामों में अच्छे ढंग से स्टाक रखे जाते हैं और परिरक्षण सम्बन्धी उपयुक्त तकनीक अपनाई जाती है तथा चूहों के रोक-

पास करने के उपाय किये जाते हैं जिसके फलस्वरूप खाद्यान्नों की मामूली क्षति होती है। यह सुनिश्चित करने के लिये भी सावधानी बरती जा रही है जो खाद्यान्न ऊंचे प्लिंथ पर रखे जाते हैं उन्हें पर्याप्त निकास की व्यवस्था करते हुये वर्षा से सुरक्षित पोलिथीन चद्दर से ढक कर रखा जाये।

मध्य प्रदेश में आयाकट योजना पर व्यय

1990. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में आयाकट योजना पर अब तक कितना व्यय हुआ है और इसमें किस-किस प्रकार से कार्य किस-किस स्थान पर पूरे किये गये हैं और इन कार्यों पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है और

(ख) आयाकट योजना के अन्तर्गत और कितनी धनराशि निश्चित करने का विचार है ताकि मंजूर की गई धनराशि इस क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के लिये कम न हो ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री [illegible]) : (क) चम्बल क्षेत्र में आयाकट विकास कार्य पर अब तक 406 31 लाख रुपये खर्च हुये हैं। क्रियान्वित किये गये निर्माण-कार्यों का स्वरूप, स्थान जहां ये क्रियान्वित किये गये हैं और जून, 1976 तक इन निर्माण-कार्यों पर किया गया खर्च नीचे दिया गया है :

निर्माण कार्यों का स्वरूप	खर्च (लाख रुपये)	स्थान जहा ये क्रियान्वित किये गये हैं।
1	2	3
1. सिंचाई निर्माण कार्यों का आधुनिकरण, जिसमें मुख्य नहर में भूरक्षण की रोकथाम, नहर की क्षमता सम्बन्धी निर्माण कार्य, नहर नियंत्रण के ढांचे और जलीय खरपतवार का नियंत्रण भी शामिल है।	62 87	मुरैना और भिंड जिले का शिवपुर सावलगढ और मुरैना तहसीलें।
2. मुख्य निकास नाली	23 94	मुरैना और भिंड जिले।
3. धान फार्म विकास सम्बन्धी निर्माण-कार्य, जिसमे खेत की सिंचाई नालियां, खेत की निकास नालिया और भूमि समतलन तथा भूमि को आकार देना भी शामिल है।	20 78	मुरैना तहसील के हिंगाना, हिंगा, सिकरौना, सावलगढ़, तहसील के तोरिको, डाकेगढ, करोली, शेखपुर, शिवपुर तहसील के लादक पारा नारायणपुर, गोहाट तहसील के [illegible], [illegible] और गोहाट, शिवपुर तहसील के [illegible], सावलगढ तहसील के लालीपुरा, सोहकला, [illegible] तथा [illegible] और भिंड जिले के शाहपुरा और बंकापुर गांव।